प्रकरण संख्या 8/2020 जसवन्तसिंह बनाम चेनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिकलवास में जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की खाता संख्या 77 कुल किता 59 रकबा 9.1550 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता कालूसिंह पिता पनसिंह के नाम दर्ज है। कालूसिंह का देहावसान हो चुका है, परन्तु भूमि अभी उनके नाम ही चली आ रही है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा होकर मौके पर विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसका विवरण परिशिष्ठ 3, 4, 5, 6 में दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 चैनसिंह ने खसरा नंबर 2989, वादी जसवन्तसिंह ने खसरा नंबर 3011, 3012 व प्रतिवादी संख्या 2 नाथूसिंह ने खसरा नंबर 3018 अन्य व्यक्ति को विकय कर दी है, जो क्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है, जो विक्रेता को प्राप्त होने वाले हिस्से से कम होगी। वादग्रस्त भूमि का मौके पर किया गया विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं होने से वादीगण का वाद स्वीकार कर पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। एकबाली जवाबदावा प्रस्तुत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 02.02.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् दिनांक 10.07.2017 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27.01.2020 को प्रस्तुत की गई है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री भावेश जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्टगण तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण की सुनवाई लोक अदालत में की गयी थी एवं उपस्थिति स्वरूप पक्षकारों से खाली फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये थे तथा निर्णय के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही की देखरेख भोपालसिंह कर रहे थे, जो गम्भीर बीमारी से ग्रसित होकर स्वस्थ चित्त नहीं रहे, जिससे अपीलान्ट को प्रकरण की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर मीट्स मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना तहसीलदार द्वारा नहीं किये जाने से केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर [illegible]/वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर [illegible] कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। लोक अदालतों में [illegible], वाद उठाने व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार के प्रकरण शामिल किये जाते हैं, पक्षकारों के हित व अधिकारों का निस्तारण लोक अदालत में नहीं किया जाता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि प्रकरण में विभाजन विधिवत पक्षकारों की उपस्थिति में कराया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2017 को पारित आदेश में उनके हस्ताक्षर यह कह कर करवाये गये कि आगे तिथि सहायक कलेक्टर साहब के नहीं आने से दी जावेगी। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन हेतु उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी एवं मनमानी रिपोर्ट पेश कर दी गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों को सुने एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः विधिवत कार्यवाही एवं उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.02.2017 को अपीलान्ट/वादीगण का वाद स्वीकार प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं तहसीलदार बड़गांव को मौका कमिश्नर नियुक्त कर उभयपक्षों की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया, किन्तु बिना विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए दिनांक 10.07.2017 को वादीगण का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि "पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के पिता कालूसिंह की मृत्यु के बाद सभी विधिक वारिसानों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं खाता संख्या 150 किता [illegible] रकबा 2.5900 हैक्टर भूमि चैनसिंह की स्वअर्जित भूमि [illegible] जो [illegible] में बताकर बंटवारा चाहा है, जो धारा 53 रा.का.अ. के नियमों के अनुसार विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

सम्मत नहीं है इसलिए वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।''

अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार उक्त दिनांक को कुछ पक्षकार उपस्थित थे, किन्तु वाद इसी स्टेज पर खारिज करने में उनकी सहमति रही हो या उन्हें पटवारी की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का खण्डन करने का अवसर दिया गया हो, ऐसा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2017 प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी विधिक वारिसानों को पक्षकार बनायें एवं पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर यदि उस पर किसी पक्षकार की आपत्ति हो तो सर्व प्रथम उसका निस्तारण किया जाकर सभी पक्षकारों के मध्य राजस्व मण्डल के नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
[illegible] न्ध अधिकारी
एवं [illegible] न [illegible] स्व अपील अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested